भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

लिखित प्रश्न सं. 782 जिसका उत्ततर

सोमवार, 27 जुलाई, 2015/5 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है

भारत के राष्ट्रीय नाविक संघ के अभ्यावेदन

782. श्री शान्ताबराम नायक :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याह भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ ने उन्हेंय पेश आ रही समस्याओं के संबंध में सरकार को कोई अभ्याकवेदन दिया ;है

(ख) क्याय यह सच है कि ये मुद्दे पेंशन देने और विमान द्वारा उनके घर वापसी हेतु एअर बैगेज सुविधाओं से संबंधित है;

(ग) क्या मंत्रालय ने कभी भी नाविकों को पेंशन देने के मुद्दे को वित्तर मंत्रालय के साथ उठाया है;

(घ) इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया थी ;

(ड.) क्या सरकार पोत परिवहन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और नाविक संघों के बीच बैठक कराने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां , तो यह बैठक कब होने की संभावना है?

उत्तचर

पोत परिवहन राज्यह मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णोन्)

(क) और (ख): जी , नहीं। लेकिन, सरकार को सेवानिवृत्तक नाविकों/नाविकों कीविधवाओं और नाविक बैगेज भत्ताम में बढ़ोत्तकरी के लिए मासिक अनुग्रह राशि आर्थिक सहायता (एमईएमए) में बढ़ोत्री, सं के मामलें में अन्यि संघों से अयाकोवेदन प्राप्तै हुए हैं।

एमईएमए योजना नाविक कल्याण निधि संघ (एसडब्यूंएफएस) मुम्बई द्वारा कार्यान्विात की जाती है। इस संघ को भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से मदद नहीं दी जाती है परन्तुी पोतस्वांमियों द्वारा दिए गए योगदान से कार्य किया जाता है। संघ की गतिविधियों पर निर्णय प्रबंध समिति (सीओएम) द्वारा लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध् निधियों के साथ अनुग्रह सहायता की वृद्धि जुड़ी हुई है।

इस संबंध में , नाविक बैगेज भत्ता भत्तास की मात्रा के बारे में कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट के माध्यगम से पोतस्वामियों के संध और नाविकों के संघ द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाता है।

(ग): जी, नहीं।

(घ) और (च): प्रश्न नहीं उठता।

****